## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़ OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA, CHANDIGARH

श्री/सुश्री	जो दिनांक को			
सरकारी सेवा से हो रहे/र	हो रहे/रही हैं को दिनांक से			
तक की अवधि के लिए	केंद्र सरक	ार कर्मचारी	समूह बी	)मा योजन <u>ा</u>
(सीजीईजीआईएस) 1980 के तहत बीमा निधि	ो, बचत	निधि से	लाभ के	रूप में
रुपये (			) के भुग	तान के लिए
उप-महालेखाकार (प्रशासन) की संस्वीकृति एतदद्वारा सू	चित की जा	ती है।		
Sanction of Dy. Accountant General (Admn)	is hereby	conveyed	to the pa	ayment of
Rs (		) be	ing the be	enefit from
the insurance fund, saving fund under Central C	Governmer	nt Employe	es Group	Insurance
Scheme 1980 for the period from		to _		to
Sh./Ms	who	)		
from the Government service with effect from				
इसमें शामिल व्यय शीर्ष 8011 बीमा और पेंशन सीर्ज	ोईजीआईएस	, 1980 बीग	ना निधि/बच	ात निधि में
डेबिटेबल है।				
The expenditure involved is debitable to the hear	ad 8011 In	surance a	nd pension	n CGEGIS
1980 Insurance fund/saving fund.				
	वरिष्			(हकदारी-1) er (Entt-I)
संख्या/No.: हकदारी/Entt-1/संस्वीकृति/sanction/		दिनांक/[	Dated:	
इसकी प्रति वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान व को प्रेषित है।	महालेखाकार	(लेखा एवं	हकदारी) पंज	नाब, चंडीगढ़
Copy forwarded to Pay and Accounts Officer Punjab, Chandigarh.	O/o the F	Pr. Accour	itant Gene	eral (A&E)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हकदारी-1) Sr. Audit Officer (Entt-I)